an>

Title: Need to ensure adequate supply of water from Ban Sagar Dam to Bihar as per agreement.

**श्री अश्विनी कुमार चौबे (बक्सर)** ः बिहार के बक्सर, कैमूर, रोहतास और भोजपुर जिलों भूमि अत्यधिक उपजाऊ है और खेती ही यहां की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। सोन नहर प्रणाली यहां की कृषि भूमि की सिंचाई का मुख्य साधन है। बाण सागर जलाशय के निर्माण के बाद सोन नदी के पानी का उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार राज्यों के बीच बंटवारे के लिए बाण सागर समझौता किया गया था, जिसकी मुख्य बात यह थी कि बिहार राज्य की सोन नहर प्रणाली के लिए इन्द्रपुरी बैराज पर पर्याप्त पानी उपलब्ध रहेगा और खेतों की सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता को प्राथमिकता दी जाएगी। परंतु उत्तर प्रदेश द्वारा बार-बार समझौता का उल्लंघन किया जा रहा है, जिसके कारण बाण सागर तथा रिहन्द जलाशय का संचालन न्यायोचित ढंग से नहीं हो रहा है और बिहार को अपने हिस्से का पानी नहीं मिल पा रहा है। जल के प्रवाह में कमी के कारण महत्वाकांक्षी ""कदवन जलाशय योजना"" केन्द्र सरकार के यहां 1987 में प्रस्तावित थी, जिसका निर्माण कार्य वर्षों से लंबित है। इस क्षेत्र में कृषि और कृषक संकट में है और सिंचित क्षेत्रों को भी न तो रबी और न ही खरीफ फसलों के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध हो पाता है।

इसलिए केंद्र सरकार से अनुरोध है कि बाण सागर समझौते के तहत बिहार को आवंटित पानी की आपूर्ति प्राथमिकता के आधार पर किया जाना सुनिश्चित करे ताकि इस क्षेत्र में फसलों को बर्बाद होने से बचाया जा सके। साथ ही ""कदवन जलाशय"" की लंबित योजना का कार्य अविलंब प्रारंभ किया जाए। इसके अतिरिक्त सोन नहर का आधुनिकीकरण और पक्कीकरण अति आवश्यक है। जिससे बिहार के बक्सर सहित संपूर्ण शाहबाद, औरंगाबाद तथा पटना के लाखों किसान लांभांवित हो सकें।

केन्द्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में उक्त विषय से संबंधित अंतर्राज्यीय बैठक (बिहार, झारखंड एवं उत्तर प्रदेश) दिनांक 05.02.2016 को हुई, जिसमें उ.प्र. सरकार की ओर से सूचित किया गया कि इस आशय (क्ड्डL टळ 169 थ्र्.ः्रज़्त् टळ 171 थ्र्.) की सहमति पत्र उ.प्र. सरकार द्वारा दिनांक 31.12.07 को ही बिहार सरकार को भेजा जा चुका है। साथ ही, बैठक में भी यह आपसी सहमति बनी कि बिहार सरकार इस आशय का अद्यतन डी.पी.आर. तैयार कर भेजे। सन 1973 (43 वर्ष) से कदवन जलाशय योजना के निर्माण हेतु मेरे द्वारा लगभग दो वर्ष पूर्व भी संसद में नियम 377 के माध्यम से उठाये जाने के बावजूद अधर में लटकी हुई है तथा बिहार सरकार लगभग 9 वर्षों से अनावश्यक विलंब कर रही है। साथ ही, आपसी सहमति के लगभग पांच माह बाद भी राज्य सरकार अद्यतन डी.पी.आर. तैयार कर नहीं भेज पाई है। अतः लाखों किसानों के जनहित में केंद्र सरकार से अविलंब कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु आग्रह करता हूँ।